भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3051
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य

3051. डॉ. नामदेव किरसान :

क्या **बिधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 16 वर्ष पूर्व देश में ग्राम न्यायालयों (ग्रामीण न्यायालयों) की स्थापना करने के लिए एक कानून अधिनियमित किया था ताकि डोर-स्टेप पर सस्ता न्याय प्रदान किया जा सके और विचारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटाने में सहायता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कुल कितने ग्रामीण न्यायालयों की आवश्यकता है और कितने ग्रामीण न्यायालय स्थापित और कार्यशील हैं ; और

(घ) ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा देश में और अधिक ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारत के विधि आयोग ने, अपनी 114वीं रिपोर्ट में, नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय तक सस्ती और त्वरित पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, तारीख 02 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत्त हुआ, जो नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित तो नहीं हो रहा है, का उपबंध करता है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का विवरण https://www.indiacode.nic.in/bitstream/23456789/19258/1/gram_nyayalay_act_2008.pdf पर उपलब्ध है ।

(ग) : वर्ष 2009-10 के बजट प्राक्कलन में एक योजना स्कीम, अर्थात् "ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता" का उपबंध किया गया था । संसद् में ग्राम न्यायालय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से संबंधित सभी गैर-आवर्ती व्ययों को केंद्रीय सरकार वहन करेगी । इसने यह भी निर्णय लिया कि ग्राम न्यायालयों के पहले 3 वर्षों के लिए आवर्ती व्यय को केंद्रीय सरकार राज्यों के साथ साझा करेगी और उसके पश्चात् के संपूर्ण आवर्ती व्यय राज्य वहन करेंगे ।

मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार एक बार के उपाय के रूप में गैर-आवर्ती व्यय

को पूरा करने के लिए प्रति ग्राम न्यायालय 18.00 लाख रुपये प्रदान करती है और पहले 3 वर्षों के दौरान प्रति न्यायालय प्रति वर्ष 3.20 लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए इन न्यायालयों के आवर्ती व्यय का 50% वहन करती है । अब तक 15 राज्यों द्वारा 481 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 10 राज्यों में 309 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील कर दिया गया है ।

(घ) : कतिपय अध्ययनों के अनुसार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना में धीमी प्रगति के मुख्य कारणों में, कई राज्यों में न्यायाधिकारियों के पद न भरना, लोक अभियोजकों, नोटरियों की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सामान्य कमी, ग्राम न्यायालयों की सीमित धन-संबंधी अधिकारिता, अपर्याप्त कर्मचारिवृंद, राज्यों से अपर्याप्त वित्तीय सहायता, विधिक और राज्य अधिकारियों की अनिच्छा और सामाजिक जागरूकता की कमी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालयों के संबंध में धीमी गति से आगे बढ़ने का एक अन्य कारण नियमित न्यायालयों के साथ ओवरलैपिंग क्षेत्राधिकार का मुद्दा भी है । इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में पंचायत स्तर पर काम करने वाली ग्राम न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणाली है ।

देश में ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए, तारीख 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालयों को स्थानीय मुद्दों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भी संभव हो, ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वैच्छिक योजना है । केंद्रीय सरकार पहले से अधिसूचित ग्राम न्यायालयों को नियमित आधार पर क्रियाशील करने के लिए राज्यों से आग्रह कर रही है ।

****